कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 22.05.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–26 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अभिषेक निषाद पुत्र मुन्ना नि0 दुर्गागंज मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–233/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अशोक कुमार पुत्र रामभवन नि0 ग्राम खटिकन पुरवा मौजा भुडकुड़ा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 01 गत्ते में रखी विन्डीज आरेंज ब्राण्ड की 38 प्लास्टिक की शीशी नाजायज सरकारी देशी शराब बरामद कर मु0अ0सं0–243/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 22.05.2023

पेट्रोल डालकर युवक को जलाने वाला आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 20/21.05.2023 की रात्रि थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत एक युवक द्वारा गणेशपुर ग्रन्ट के रहने वाले सत्यनारायण चौहान के ऊपर सोते समय पेट्रोल डालकर आग लगा दिया था। जिससे सत्यनारायण चौहान गम्भीर रूप से घायल हो गए थे। जिनको सीएचसी मुजहेना मे भर्ती कराया गया था। वादी की तहरीर पर थाना धानेपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। सूचना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश थानाध्यक्ष धानेपुर को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा सुरागरसी–पतारसी कर घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त छट्ठेराम चौहान को गुमड़ी पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह पीड़ित के परिवार की एक लड़की से काफी दिनों से बातचीत करता था। जिसका सत्यनारायण विरोध करते थे। दिनांक 16.05.2023 को जब मै लड़की के घर गया तो सत्यनारायण द्वारा मुझे डाटफटकार कर भगा दिया गया। इसी बात से छुब्ध होकर मेरे द्वारा यह घटना कारित की गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. छट्ठेराम चौहान पुत्र जयराम चौहान नि0 तेलियकडीह मौजा महिली थाना रेहराबाजार जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–160/23, धारा 326 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 अमरनाथ मय टीम।